संOसंO–9/आO–07–01/2010

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि डाO लखीन्द्र प्रसाद, तत्कालीन **सिविल सर्जन, दरभंगा, सम्प्रति अधीक्षक पीOएमOसीOएचO,** पटना अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार, अवज्ञा एवं सरकार के आदेश के उल्लघंन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:–

उक्त **डाO लखीन्द्र प्रसाद** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

डाO लखीन्द्र प्रसाद असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है । विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए **श्री शेखर चन्द्र वर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग** को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, **श्री देवचन्द्र चौधरी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग** नियुक्त किया जाता है ।

डाO लखीन्द्र प्रसाद को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ हीं निर्गत किया जा रहा है ।

<u>आदेश:</u> आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15.5.15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : / स्वाO, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, **श्री शेखर चन्द्र वर्मा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग** को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

15.5.15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : / स्वाO, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति **श्री देवचन्द्र चौधरी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग** को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.5.15

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 311 (9) /स्वाO, पटना, दिनांक : 17/5/2015

प्रतिलिपिः साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति **डाO लखीन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सिविल सर्जन, दरभंगा, सम्प्रति अधीक्षक पीOएमOसीOएचO, पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आईOटीO मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15.5.15

सरकार के अवर सचिव।

E/Sankalp folder 2013